बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
–:: आदेश ::–

CWJC No.-20002/2014, सत्येन्द्र कुमार बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–31.07.2018 को श्री सत्येन्द्र कुमार, सेवा से बर्खास्त नियोजन पदाधिकारी की सेवा से बर्खास्तगी के संबंध में PLJR-435/2015(4) में रिपोर्टेड हसन मुजाहिद बनाम बिहार राज्य इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड एवं अन्य में दिये गए न्यायनिर्णय को उद्धृत करते हुए जो न्यायादेश दिया गया है उसकी कंडिका 5, 6 तथा 7 में कार्यकारी अंश निम्नरूपेण हैः–

"5. In view of the aforesaid consideration, similar order may be passed in the instant case also so that all the issues raised by the petitioner in response to the second show cause may be considered by the Disciplinary Authority afresh. Such consideration must be done having due regard to the opinion given by the BPSC in favour of the petitioner. Since the matter has been lingering and the petitioner is being harassed, this Court considers it appropriate that the Disciplinary Authority may take a final decision in respect of the petitioner by a reasoned and speaking order dealing with all the points raised by the petitioner in his second show cause within a period of three months from the date of receipt/production of a copy of this order. The entitlement of the petitioner would abide by the final result as has been done in the case of Hassan Muzahid (supra).

6. If the final decision is not taken within three months, the entitlement of the petitioner would not be kept pending.

7. It is made clear that upon remand of this matter before the Disciplinary Authority, the petitioner would be treated as under suspension and benefits arising out of such status should be made available to him. "

2. माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–31.07.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री सत्येन्द्र कुमार की बर्खास्तगी के संबंध में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया जा चुका है जो विभागीय आदेश ज्ञापांक–411 दिनांक–13.02.2019 द्वारा संसूचित है। आदेश ज्ञापांक–411 दिनांक–13.02.2019 की कंडिका 7 में अनुशासनिक प्राधिकार का यह निर्णय भी संसूचित है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No.-20002/2014 में दिनांक–31.07.2018 को पारित न्यायादेश की कंडिका 7 के संबंध में विधि विभाग के परामर्श से आदेश निर्गत किया जायेगा।

3. उक्त के आलोक में विधि विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया। विधि विभाग ने इस संबंध में यह मंतव्य अंकित किया है कि "चूँकि याची सत्येन्द्र कुमार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–31.07.2018 से पूर्व वर्ष 2014 में ही सेवानिवृत्त हो चुके थे। इस कारण माननीय न्यायालय के आदेश की तिथि के बाद निलम्बन में माने जाने का प्रश्न ही नहीं उठता, इस कारण से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के उपरान्त तथा प्रशासी विभाग द्वारा पुनः अंतिम आदेश दिनांक–13.02.2019 की बीच की अवधि का जीवन निर्वाह भत्ता के हकदार नहीं होंगे।"

4. यह उल्लेखनीय है कि श्री सत्येन्द्र कुमार दिनांक–23.01.2014 को सेवा निवृति की आयु प्राप्त कर चुके थे। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No.-20002/2014 पारित आदेश के अनुपालन में विभागीय अधिसूचना संख्या–187 दिनांक–22.01.2019 द्वारा श्री सत्येन्द्र कुमार की बर्खास्तगी से संबंधित संकल्प ज्ञापांक–3893 दिनांक–15.10.2013 को रद्द किया गया था साथ ही श्री सत्येन्द्र कुमार दिनांक–15.10.2013 से दिनांक–23.01.2014 तक निलंबित भी किये गये थे।

दिनांक–15.10.2013 से दिनांक–23.01.2014 तक उनके जीवन निर्वाह भत्ता के संबंध में विधि विभाग द्वारा यह भी परामर्श दिया गया है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10 (1) में यह प्रावधान है कि निलंबनाधीन या निलंबनाधीन समझा गया कोई सरकारी सेवक केवल उसी अवधि के लिये जीवन–निर्वाह भत्ता पाने का हकदार होगा जब निलम्बन अवधि के दौरान वह मुख्यालय में वास्तव में उपस्थित रहा हो एवं उपस्थिति–पंजी में अपनी उपस्थिति दर्ज की हो। चूँकि श्री सत्येन्द्र कुमार द्वारा मुख्यालय में उपस्थित रह कर दिनांक–15.10.2013 से दिनांक–23.01.2014 तक की अवधि में कोई उपस्थिति दर्ज नहीं की जा सकती, ऐसी स्थिति में दिनांक–15.10.2013 से दिनांक–23.01.2014 तक की निलंबन अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ता के हकदार नहीं हो सकते।

4. यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालय द्वारा श्री सत्येन्द्र कुमार की बर्खास्तगी के संबंध में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उनके द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर तथा लोक सेवा आयोग द्वारा दिये गये परामर्श के प्रति अपेक्षित सम्मान रखते हुये नये सिरे से विचार करते हुये जो सकारण आदेश पारित करने का आदेश दिया गया है उक्त के आलोक में सक्षम प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री सत्येन्द्र कुमार विभागीय आदेश ज्ञापांक–411 दिनांक–13.02.2019 द्वारा दिनांक–15.10.2013 के प्रभाव से पुनः सेवा से बर्खास्त किये गये हैं। ऐसी स्थिति में सत्येन्द्र कुमार किसी अन्य लाभ के हकदार नहीं होते हैं।

अतएव विधि विभाग से प्राप्त परामर्श तथा सक्षम प्राधिकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में श्री सत्येन्द्र कुमार, सेवा से बर्खास्त नियोजन पदाधिकारी जीवन निर्वाह भत्ता तथा किसी अन्य लाभ के हकदार नहीं होते हैं।

ह०/–

(सूर्यकान्त मणि)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक –6/श्रम वि० आ० (01)– 63/2014 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

निबंधित/स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपि– श्री सत्येन्द्र कुमार, तत्कालीन नियोजन पदाधिकारी (निलंबित) सम्प्रति सेवा से बर्खास्त, S/o- स्व० रामावतार सिंह, ग्राम + पोस्ट– प्यारेपुर, थाना– गिरियक, जिला– नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक –6/श्रम वि० आ० (01)– 63/2014 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो प्रति के साथ बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 15 (पन्द्रह) अतिरिक्त प्रतियॉ विभाग को उपलब्ध करायें।

ह०/–

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक –6/श्रम वि० आ० (01)– 63/2014 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक –6/श्रम वि० आ० (01)– 63/2014 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै० दा० नि० कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक –6/श्रम वि०आ० (01)–63/2014 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ उपस्थापित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक –6/श्रम वि० आ० (01)– 63/2014 श्र०सं०– 577 पटना, दिनांक– 07/3/2019
प्रतिलिपि–निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण/विशेष सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/उप सचिव/अवर सचिव/प्रभारी गोपनीय चारित्री/लोक सूचना पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर/प्रशाखा पदाधिकारी (01 एवं 06), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7/3/19
सरकार के उप सचिव
7/3/19